



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 14, 2018/ज्येष्ठ 24, 1940

No. 404]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 14, 2018/JYAISTHA 24, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2018

सा.का.नि. 559(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 247 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) दूसरा संशोधन नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 में, नियम 19 के उपनियम (2) में, खंड (छ) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(ज) पदेन सदस्यों के रूप में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष।”।

[फा.सं. 1/27/2013-सीएल-V (पार्ट)

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम सा.का.नि. संख्या 1316(अ) तारीख 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 155(अ), तारीख 09 फरवरी, 2018 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th June, 2018

G.S.R. 559(E).—In exercise of the powers conferred by section 247 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Registered Valuers and Valuation) Second Amendment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, in rule 19, in sub-rule 2, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-

“(h) Presidents of, the Institute of Chartered Accountants of India, the Institute of Company Secretaries of India, the Institute of Cost Accountants of India as ex-officio members.”.

[F. No. 1/27/2013-CL-V (Part)]

K.V.R. Murty, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1316(E), dated the 18th October, 2017 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 155(E), dated the 9th February, 2018.